

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 433]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 नवम्बर 2021—कार्तिक 13, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-58-2015-1-पांच (79).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग तीन-क में,—

- (एक) अनुक्रमांक 1 के सम्मुख, कॉलम (3) में, अंक “23” के स्थान पर अंक “19” स्थापित किया जाए।
(दो) अनुक्रमांक 2 के सम्मुख, कॉलम (3) में, अंक “33” के स्थान पर अंक “29” स्थापित किया जाए।

2. यह अधिसूचना दिनांक 04 नवम्बर, 2021 एवं 05 नवम्बर, 2021 की मध्यरात्रि से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-58-2015-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय को अधिसूचना क्र. एफ ए 3-58-2015-1-पांच (79), दिनांक 04 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव।

Bhopal, the 4th November 2021

No. F A 3-58-2015-1-V-(79).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendments in Schedule II of the said Act, namely :—

AMENDMENTS

In Part-III- A of Schedule II to the said Act,—

- (1) against serial number 1, in column (3), for the figure "23", the figure "19", shall be substituted.
- (2) against serial number 2, in column (3), for the figure "33", the figure "29", shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the midnight of 04th November, 2021 and 5th November, 2021

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.